न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : 06/2025(जी.सी.एम.एस.2025/77)

प्रार्थीगण	बनाम अप्रार्थीगण
1. बलदेव सिंह पुत्र चनन सिंह जाति मजहबी सिख निवासी वार्ड नम्बर 2 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 2. हरबंस सिंह पुत्र चनन सिंह जाति मजहबी सिख निवासी वार्ड नम्बर 2 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर।	1.हरदीप सिंह पुत्र सुखा सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 2 केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर। 2.ठाकर सिंह पुत्र सुखा सिंह जाति मजहबी सिख निवासी वार्ड नम्बर 2 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 3.निर्मल सिंह पुत्र हरदीप सिंह जाति मजहबी सिख निवासी वार्ड नम्बर 2 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 4.सरदूल सिंह पुत्र हरदीप सिंह जाति मजहबी सिख निवासी वार्ड नम्बर 2 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 5.गमदूर सिंह पुत्र चन्द सिंह जाति मजहबी सिख निवासी वार्ड नम्बर 2 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 6.जसवन्त सिंह पुत्र पिरथी सिंह जाति मजहबी सिख निवासी वार्ड नम्बर 2 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 7.हरमन्दरपाल सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति मजहबी सिख निवासी वार्ड नम्बर 2 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 8.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:–25.03.2025

उपस्थितः1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री जगविन्द्र सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 7

3.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 6

—निर्णय— **दिनांक : 08.09.025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 3 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 51/52 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 2.107 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 बलदेव सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व ग्राम 3 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 117/110 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 2.108 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 2 हरबंस सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 18 में प्रवेश करने के लिए मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 5 की उतरी दिशा में स्थित मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 25 के कोने में से होते हुए पूर्व दिशा की तरफ स्थित मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25 प्रत्येक किला के दक्षिण बट के साथ-साथ स्थित 10 फीट चौडा रास्ता में से होते हुए मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 21 में स्थित सरकारी रास्ता पर पंहुचते है। मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 25 व मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 21 ता 25 में कई वर्षो से रास्ता मौका पर चालू है और प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण अपनी-अपनी जोत में पंहुचने के लिए इसी रास्ता का उपयोग करते है। चूकिं उक्त वर्णित चालू रास्ता स्वीकृत मार्ग के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण हमेशा उक्त रास्ता का उपयोग करने से टोका-टोकी करते रहते है व उक्त रास्ता को हल चलाकर नष्ट कर बन्द करने की धमकी देते रहते है। उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना आत्यतिंक आवश्यक है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता हेतु प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थीगण से मांग की है। तो अप्रार्थीगण ऐसा करने से साफ इन्कार हो गए। यही वाद कारण है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर टी ए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 25 के दक्षिणी-पूर्वी कोने में 0.0013 हैक्टेयर भूमि

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ 10 फीट चौडाई में भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में करने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को आदेश पारित किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह ढिल्लों उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर समझौतानामा पेश किया। समझौतानामा अनुसार राजस्व ग्राम 3 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 25 के दक्षिणी-पूर्वी कोने में 0.0013 हैक्टेयर भूमि मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ 10 फीट चौडाई में भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई एतराज नहीं है। अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से अधिवक्ता श्री जगविन्द्र सिंह उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है, काबिले खारिज है। अतः खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 5 न्यायालय में स्वंय उपस्थित आए। जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा उपस्थित आए। जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। सामिल मिसल किया गया।

3. उक्त के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से क्रमांक/राजस्व/2025/456 दिनांक 28.04.2025 से मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक केसरीसिंहपुर मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक केसरीसिंहपुर व पटवारी हलका केसरीसिंहपुर द्वारा चक 3 यू के मुरब्बा नम्बर 14, 15, 18, 13 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया कि मौके पर प्रार्थीगण के द्वारा आराजी मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 5 तक पहुंचने के लिए मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25 की दक्षिणी बट के साथ-साथ 165 गुणा 10 वर्गफीट भूमि व मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 25 के दक्षिणी-पूर्वी कोने की 0.0013 हैक्टेयर भूमि में से रास्ते की मांग की गई है। मौका पर उक्त रास्ता चालू है।

4. हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार है:-" कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।"

5. भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण राजस्व ग्राम 3 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 51/52 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 2.107 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 3 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 117/110 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 2.108 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा पडोसी मुरब्बा नम्बर मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 25 के दक्षिणी-पूर्वी कोने में 0.0013 हैक्टेयर भूमि व मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ 10 फीट चौडाई में अपनी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है।

सहायक कलेक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

प्रार्थीगण को अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 5 तक पंहुचने के लिए मुरब्बा नम्बर मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25 की दक्षिणी बट के साथ-साथ 165 गुणा 10 वर्गफीट भूमि व मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 25 के दक्षिणी-पूर्वी कोने की 0.0013 हैक्टेयर भूमि में से रास्ता व्यावहारिक है। प्रार्थीगण को रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थीगण की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ 0.015 हैक्टेयर भूमि व मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 25 के दक्षिणी-पूर्वी कोने की 0.0013 हैक्टेयर भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25 व मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 25 की कुल 0.076 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थीगण से वसूलकर हितबद्व अप्रार्थीगण को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्व अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्व अप्रार्थी इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{श्योराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:– 01501226005

ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2025/670 **दिनांक :- 08.09.2025**

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः- प्रकरण संख्या 06/2025 अनवान बलदेव सिंह आदि बनाम हरदीप सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 08.09.2025 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 08.09.2025 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ 0.015 हैक्टेयर भूमि व मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 25 के दक्षिणी-पूर्वी कोने की 0.0013 हैक्टेयर भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25 व मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 25 की कुल 0.076 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थीगण से वसूलकर हितबद्व अप्रार्थीगण को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्व अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्व अप्रार्थी इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

{श्योराम (आर.ए.एस)**}**
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर, जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)